



2026:AHC:49929

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9166 वर्ष 2026

रामचंद्र

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मुक्तेश कुमार सिंह, राकेश कुमार यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने केवल एक ही प्रार्थना की है कि प्रतिवादी संख्या 2, यानी तहसीलदार, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर को यह निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत दर्ज वाद संख्या 9751 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या टी202414360309751, रिपोर्ट लेखपाल बनाम रामचंद्र यादव) में लंबित याचिकाकर्ता के बहाली आवेदन (दिनांक 29.03.2025) और स्थगन आवेदन पर एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लें।

2. रिट याचिका में संक्षेप में दिए गए तथ्य ये हैं कि यूपी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, केस संख्या 9751 वर्ष 2024 में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 15.02.2025 के आदेश के माध्यम से बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया है।

3. उपर्युक्त आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था, और इसके साथ ही अंतरिम संरक्षण के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। चूंकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 15.02.2025 को पारित आदेश का अवलोकन करने पर, न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट है कि उक्त आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ नियम, 2016 के नियम, 67 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

5. इस मामले को देखते हुए और न्याय के हित में भी, प्रतिवादी संख्या 2, यानी तहसीलदार, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दायर बहाली आवेदन पर उचित आदेश पारित करें यह कार्य अत्यंत शीघ्रता से, और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से **तीन महीने** की अवधि के भीतर किया जाए।

6. उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र के निस्तारण तक, पक्षकारों के मध्य वर्तमान स्थिति (यथास्थिति) जो आज की तिथि पर विद्यमान है बनाए रखी जाएगी।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

स्वाति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।